रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग III—खण्ड 4
PART III—Section 4
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 237] नई दिल्ली, सोमवार, मई 30, 2016/ज्येष्ठ 9, 1938
No. 237] NEW DELHI, MONDAY, MAY 30, 2016/ JYAISHKA 9, 1938

केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग

अधिसूचना

नई दिल्ली, 27 मई , 2016

सं. एल.-1/97/2016-16.— विद्युत अधिनियम, 2003 (2003 का 36) की धारा 66 के साथ पठित धारा 178 की उपधारा (1) और उपधारा (2) के खण्ड (म), राष्ट्रीय विद्युत नीति के पैराग्राफ 5.9, अंतरणीय और बिक्री योग्य ऊर्जा बचत प्रमाण–पत्रों के विनिमय के लिए ऊर्जा में बाजार के विकास के लिए तारीख 30 मार्च, 2012 के सा0का0नि 269 (ङ) के माध्यम से भारत सरकार के विद्युत मंत्रालय, द्वारा अधिसूचित ऊर्जा संरक्षण (अभिहित ग्राहकों के लिए ऊर्जा उपभोग मानदण्ड व मानक प्ररूप, समय जिसमें स्कीम तैयार करने और कार्यान्वयन की रीति, ऊर्जा बचत प्रमाणपत्रों के जारी करने की क्रियाविधि तथा उपभोग की गई ऊर्जा के समतुल्य तेल के प्रति मिट्रिक टन का मूल्य) नियम, 2012 नियम 12 के उपनियम (4) तथा उपनियम 13 के खंड (ख) तथा इस निमित्त समस्त अन्य सामर्थ्यकारी शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग निम्नलिखित विनियम बनाता है अर्थात् :–

1. **संक्षिप्त नाम, आरंभ और लागू होने का विस्तार –**

   (1) इन विनियमों का संक्षिप्त नाम केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग (ऊर्जा बचत प्रमाण पत्रों में व्यवहार के लिए निबंधन और शर्तें) विनियम, 2016 है।

   (2) ये विनियम राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे।

2. परिभाषाएं –

(1) इन विनियमों में जब तक की संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,

(क) 'अधिनियम' से विद्युत अधिनियम, 2003 (2003 का 36) अभिप्रेत है;

(ख) 'प्रशासक' से ऊर्जा दक्षता ब्यूरो अभिप्रेत है;

(ग) 'ऊर्जा बचत प्रमाण पत्रों की बैकिंग और समाप्ति' से, समय–समय पर, यथासंशोधित पैट नियम, 2012 में यथा उपबंधित बैंकिंग और ऊर्जा बचत प्रमाण पत्र की समाप्ति अभिप्रेत है;

(घ) 'ब्यरो' से ऊर्जा संरक्षण अधिनियम 2001 (2001 का 52) की धारा 3 की उपधारा 1 के अधीन भारत सरकार द्वारा कानूनी निकाय के रूप में स्थापित ऊर्जा दक्षता ब्यूरो, अभिप्रेत है;

(ङ) 'आयोग' से विद्युत अधिनियम 2003 की धारा 76 की उपधारा 1 में निर्दिष्ट केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग अभिप्रेत है;

(च) 'चक्र' से आरंभिक वर्ष के 01, अप्रैल से आरंभ होने वाले और लक्षित वर्ष के 31 मार्च को समाप्त होने वाले पैट नियमों में यथाविनिर्दिष्ट अवधि अभिप्रेत है। प्रथम चक्र में 01 अप्रैल, 2012 से आरंभ होने वाले और 31 मार्च, 2015 को समाप्त होने वाली 3 वर्षों की अवधि सम्मिलित होगी;

(छ) 'अभिहित ग्राहक' से ऊर्जा संरक्षण अधिनियम 2001 की धारा 14 के खण्ड (ङ) के अधीन केन्द्रीय सरकार द्वारा अधिसूचित कोई उपभोक्ता अभिप्रेत है और जिसके लिए, समय–समय पर, भारत सरकार द्वारा जारी किए गए कानूनी आदेशों के अधीन एक लक्ष्य अधिसूचित किया जाता है;

(ज) 'ईसी अधिनियम' से ऊर्जा संरक्षण अधिनियम, 2001 (2001 का 52) अभिप्रेत है;

(झ) 'पात्र अस्तित्व' से रजिस्ट्री के साथ रजिस्ट्रीकृत कोई अभिहित ग्राहक अभिप्रेत है जिसे ऊर्जा बचत प्रमाण–पत्र जारी किया गया है या जारी किया समझा गया है और जो ऊर्जा संरक्षण अधिनियम की धारा 14 के खण्ड (छ) के अधीन विनिर्दिष्ट ऊर्जा उपभोग मानदण्डों और मानकों के साथ अनुपालन के लिए इस प्रकार के ऊर्जा बचत प्रमाण पत्र के विक्रय या क्रय की इच्छा करता है;

(ञ) 'ऊर्जा संरक्षण नियम' से, समय–समय पर, यथासंशोधित ऊर्जा संरक्षण (अभिहित ग्राहकों के लिए ऊर्जा उपभोग मानदंड व मानक, प्ररूप, समय जिसमें स्कीम तैयार करने और कार्यान्वयन की रीति, ऊर्जा बचत प्रमाणपत्र को जारी करने के लिए क्रियाविधि और उपभोग की गई ऊर्जा के समतुल्य तेल के प्रति मिट्रिक टन का मूल्य) नियम, 2012 अभिप्रेत है;

(ट) 'ऊर्जा बचत प्रमाण पत्र' से ऊर्जा संरक्षण अधिनियम, 2001 की धारा 14क की उपधारा (1) के अधीन ग्राहक को केन्द्रीय सरकार के विद्युत मंत्रालय द्वारा जारी किए गए ऊर्जा बचत प्रमाण–पत्र अभिप्रेत है;

(ठ) 'बाजार' से कोई फोरम/प्लेटफार्म अभिप्रेत है जहां क्रेता और विक्रेता किसी पावर एक्सचेंज के माध्यम से ऊर्जा बचत प्रमाणपत्रों का क्रय या विक्रय करते हैं;

(ड) 'एमओपी' से विद्युत मंत्रालय अभिप्रेत है;

(ढ) 'पावर एक्सचेंज' से आयोग के विद्युत बाजार विनियमों में यथा परिभाषित पावर एक्सचेंज अभिप्रेत है;

(ण) 'विद्युत बाजार विनियम' से समय समय पर यथासंशोधित केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग (विद्युत बाजार) विनियम, 2010 अभिप्रेत है;

(त) 'रजिस्ट्री' से ऊर्जा बचत प्रमाण पत्रों के संबंध में इन विनियमों में यथापरिभाषित इस प्रकार के कार्यों के निष्पादन के लिए भारत सरकार के विद्युत मंत्रालय द्वारा अभिहित अभिकरण अभिप्रेत है:

परन्तु यह कि विद्युत प्रणाली प्रचालन निगम लिमिटेड (पोसोको) के अधीन प्रचालन करने वाली एनएलडीसी 5 जनवरी, 2016 की अधिसूचना संख्या 10/4/2015 के माध्यम से भारत सरकार के विद्युत मंत्रालय द्वारा यथा अधिसूचित ऊर्जा बचत प्रमाणपत्रों के लिए रजिस्ट्री के रूप में कार्य करेगी जब तक कि विद्युत मंत्रालय अन्यथा विनिश्चित नहीं करता।

(थ) 'लक्षित वर्ष' से आरंभ होने वाले ऐसे वर्ष से तीसरा वित्तीय वर्ष अभिप्रेत है जिसके दौरान अभिहित उपभोक्ता ऊर्जा संरक्षण अधिनियम की धारा 14 के खण्ड (छ) के अधीन निहित ऊर्जा उपभोग मानदण्डों और मानकों के अनुपालन को प्राप्त करेगा;

(द) 'ऊर्जा बचत प्रमाण पत्रों का संव्यवहार' से पावर एक्सचेंजों के कार्य निष्पादन, प्राप्ति और व्यापार (पैट) स्कीम के अधीन ऊर्जा बचत प्रमाण पत्रों का विक्रय और क्रय या इसमें ऊर्जा बचत प्रमाण पत्रों का परिदान शामिल है।

(2) उपरोक्त के सिवाए और जब तक इस विषयवस्तु के संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो, इन विनियमों में प्रयुक्त शब्दों और अभिव्यक्तियों के, जो परिभाषित न किए गए हों लेकिन अधिनियम या ऊर्जा संरक्षण अधिनियम या इस आयोग के किसी अन्य विनियमों या भारत सरकार के विद्युत मंत्रालय द्वारा जारी किए किसी अन्य नियमों में परिभाषित किए गए हों, के क्रमशः वही अर्थ होंगे जो इस अधिनियम या ऊर्जा संरक्षण अधिनियम या ब्यूरों को लागू अन्य नियम या विनियम में हैं।

3. उद्देश्य –

इन विनियमों का उद्देश्य पावर एक्सचेंजों के माध्यम से ऊर्जा बचत प्रमाण पत्रों के व्यवहार के लिए एक ढांचा परिभाषित करना है।

4. विस्तार –

यह विनियम ऊर्जा बाजार विनियमों के उपबंधों के अनुसार आयोग द्वारा यथा–अनुमोदित ऊर्जा बचत प्रमाण पत्रों में संविदाओं सहित पावर एक्सचेंज/एक्सचेंजों पर संव्यवहार के लिए प्रस्थापित ऊर्जा बचत प्रमाण पत्रों के लिए लागू होंगे

5. रजिस्ट्री –

रजिस्ट्री के कृत्य निम्नलिखित होंगे:

(1) पात्र कंपनी का पंजीकरण;

(2) ऊर्जा बचत प्रमाण पत्रों के अभिलेख का रखरखाव, अर्थात् उन्हें जारी करना, व्यवहार इत्यादि;

(3) ब्यूरो के साथ समन्वय में सूचना का प्रसार;

(4) ऊर्जा बचत प्रमाण पत्रों के डाटा बेस के रखरखाव के लिए आई.टी. प्लेटफार्म के विकास में सहायता;

(5) प्रशासक के साथ गैर प्रकटन करार पर हस्ताक्षर करना;

(6) प्रचलित बाजार स्थितियों के निर्धारण के बाद ब्यूरो के साथ परामर्श करते हुए आयोग द्वारा यथा निर्दिष्ट कोई अन्य कृत्य;

6. आयोग द्वारा निर्देश जारी करना –

आयोग, समय–समय पर, प्रशासक और रजिस्ट्री को ऊर्जा बचत प्रमाण पत्रों के संव्यवहार के संबंध में उनके कृत्यों के निर्वहन के लिए निर्देश जारी कर सकता है।

7. प्रशासक के कार्य –

ऊर्जा संरक्षण अधिनियम के अधीन जारी किए गए ऊर्जा बचत प्रमाण पत्रों के संव्यवहार के प्रयोजन के लिए ब्यूरो प्रशासक के रूप में कार्य करेगा और इन विनियमों के उपबंधों के अधीन यह निम्नलिखित कार्य करेगा–

(क) रजिस्ट्री के साथ परामर्श करते हुए, ऊर्जा संरक्षण नियमों के अनुसरण में निम्नलिखित के लिए विस्तृत क्रियाविधि परिभाषित करेगा:

(i) पावर एक्सचेंजो और रजिस्ट्री, प्रशासक और रजिस्ट्री तथा रजिस्ट्री और अभिहित उपभोक्ता (उपभोक्ताओं) के बीच इन्टरफेस गतिविधियां;

(ii) पात्र अस्तित्वों का पंजीकरण; और

(iii) व्यवहार, अंतरण और अन्य अवशिष्ट मामले:

परन्तु यह कि ब्यूरो प्रस्तावित क्रियाविधि पर सार्वजनिक परामर्श प्राप्त करेगा, आयोग से उसका अनुमोदन मांगेगा और आयोग के अनुमोदन के बाद विस्तृत क्रियाविधि जारी करेगा।

(ख) पावर एक्सचेंजों पर ऊर्जा बचत प्रमाण पत्रों के संव्यवहार से सम्बद्ध मामलों में आयोग को सहायता प्रदान करना।

(ग) सभी पणधारियों को सुसंगत बाजार सूचना प्रसारित करना।

(घ) यह सुनिश्चित करने के लिए मॉनिटर करना कि ऊर्जा बचत प्रमाण पत्रों में संव्यवहार पारदर्शी ढंग से होता है और आयोग को इन विनियमों के अननुपालन के मामलों की रिपोर्ट करना।

(ङ) रजिस्ट्री को अभिहित उपभोक्ता (उपभोक्ताओं) के संबंध में सुसंगत सूचना उपलब्ध करवाना।

(च) ऊर्जा बचत प्रमाण पत्रों से संबंधित ऊर्जा संरक्षण अधिनियम के अधीन सभी अनुपालन करना।

(छ) रजिस्ट्री के साथ गैर प्रकटन करार पर हस्ताक्षर करना।

(ज) सॉफ्टवेयर विकासकर्ता/अभिकरण के साथ, जो आईटी पोर्टल का रखरखाव करते हैं समन्वय करना।

(झ) संबंधित पात्र अस्तित्व के लेखों से ऊर्जा बचत प्रमाण पत्रों के समापन के संबंध में रजिस्ट्री को सूचित करना।

(ञ) ऊर्जा बचत प्रमाण पत्रों के संव्यवहार के लिए सुचारू इन्टरफेस के लिए पावर एक्सचेंजों और रजिस्ट्री के साथ समन्वय करना।

(ट) ऐसे अन्य कृत्यों का निर्वहन करना जो इन विनियमों के अधीन समनुदेषित किए जाएं।

8. ऊर्जा बचत प्रमाण पत्रों का मूल्य और वैधता –

ऊर्जा बचत प्रमाण पत्रों का मूल्य और वैधता ऊर्जा संरक्षण नियमों में यथा विर्निदिष्ट होगी।

9. पात्र अस्तित्व –

(1) निम्नलिखित अस्तित्व पावर एक्सचेंजों पर ऊर्जा बचत प्रमाण पत्रों में संव्यवहार के लिए पात्र होंगी अर्थात्:—

(क) पात्र अस्तित्व जिन्होंने ऊर्जा संरक्षण नियमों के अधीन चक्र अवधि के लिए केन्द्रीय सरकार द्वारा अधिसूचित ऊर्जा उपभोग मानदण्डों और मानकों से कम विनिर्दिष्ट ऊर्जा उपभोग प्राप्त करने के लिए चक्र अवधि में इलैक्ट्रॉनिक रूप में ऊर्जा बचत प्रमाण पत्र जारी किए और पश्चातवर्ती चक्रों में जिन्होंने रजिस्ट्री लेखों में इस प्रकार के प्रमाण पत्रों को धारित किया;

(ख) वे पात्र कंपनियां जिनका विनिर्दिष्ट ऊर्जा उपभोग चक्र अवधि और पश्चातवर्ती चक्रों के लिए विनिर्दिष्ट निर्धारित ऊर्जा उपभोग मादण्ड और मानकों से अधिक था और जिन्होंने ऊर्जा संरक्षण के कार्यान्वयन और ऊर्जा दक्षता सुधार उपायों के स्थान पर ऊर्जा बचत प्रमाण पत्रों का उपयोग करते हुए निर्धारित ऊर्जा उपभोग मानदण्डों और मानकों का अनुपालन करने की इच्छा की।

(ग) ऊर्जा संरक्षण अधिनियम में यथा अनुमत और आयोग को ब्यूरो द्वारा पश्चातवर्ती सूचना वाली कोई अन्य पात्र अस्तित्व को समय समय पर आयोग द्वारा पावर एक्सचेंजों पर ऊर्जा बचत प्रमाण पत्रों के व्यवहार में सहभागिता के लिए सूचिबद्ध करने की अनुमति होगी।

(2) पावर एक्सचेंज संव्यवहार के दौरान रजिस्ट्री द्वारा ऊर्जा बचत प्रमाण पत्रों की उपलब्धता की पुष्टि के अध्याधीन बोलियों का क्रय या विक्रय करने में केवल पात्र अस्तित्वों को अनुमति देंगे।

10. प्रमाण पत्रों में व्यवहार करना –

(1) जब तक अन्यथा आदेश से आयोग द्वारा विशेष रूप से अनुमति न दी गई हो, तब तक ऊर्जा बचत प्रमाण पत्रों पर केवल पावर एक्सचेंज के माध्यम से व्यवहार किया जाएगा और किसी अन्य ढंग से नहीं।

(2) ब्यूरो की सिफारिश पर सरकार द्वारा पात्र अस्तित्वों को जारी किए गए ऊर्जा बचत प्रमाण पत्रों को ऊर्जा बचत पत्रों के धारक द्वारा किसी पावर एक्सचेंज में व्यवहार के लिए रखा जा सकता है और इस प्रकार के ऊर्जा बचत प्रमाण पत्र पावर एक्सचेंजों के नियमों और उपनियमों के अनुसार व्यवहार के लिए उपलब्ध होंगे।

(3) सभी पंजीकृत और पात्र अस्तित्वों के लिए पावर एक्सचेंजों के माध्यम से ऊर्जा बचत प्रमाण पत्रों के संव्यवहार की बारंबारता मासिक आधार पर या आयोग द्वारा अनुमोदित क्रियाविधि के अनुसार आवधिकता पर होगी।

(4) सभी ऊर्जा बचत प्रमाण पत्रों को ऊर्जा संरक्षण अधिनियम 2001, पैट नियम और इन विनियमों के उपबंधों के अनुसार पावर एक्सचेंजों में व्यवहारित किया जाएगा।

(5) पावर एक्सचेंज पात्रता मानदण्ड, संव्यवहार प्रक्रिया, ऊर्जा बचत प्रमाण पत्र कीमत खोज तंत्र एवं एक्सचेंज तथा रजिस्ट्री के बीच संव्यवहार की प्रक्रिया सहित नियमों एवं उपनियमों पर आयोग का अनुमोदन प्राप्त करेगा जिसमें अन्य बातों के साथ निम्नलिखित को शामिल किया जाएगा:

(क) सभी पात्र अस्तित्व जो पावर एक्सचेंज पर ऊर्जा बचत प्रमाण पत्रों के संव्यवहार में सहभागिता की इच्छा करते हैं वे रजिस्ट्री और पावर एक्सचेंज के साथ स्वयं को रजिस्ट्रीकृत करेंगे।

(ख) पात्र अस्तित्व को जारी किए गए ऊर्जा बचत प्रमाण पत्र किसी भी ऐसे पावर एक्सचेंज में व्यवहार के लिए रखे जा सकते हैं जैसा कि ऊर्जा बचत प्रमाण पत्र धारक समुचित समझे और इस प्रकार के ऊर्जा बचत प्रमाण पत्र इस प्रकार के पावर एक्सचेंज के नियम और उपनियम के अनुसार संव्यवहार के लिए उपलब्ध होंगे।

(6) किसी व्यवहार सत्र में कोई पात्र अस्तित्व अपने रजिस्ट्री खाते में धारित कुल ऊर्जा बचत प्रमाण पत्रों के आधिक्य में बिक्री बोलियां नहीं करेगा।

(7) रजिस्ट्री संबंधित रजिस्ट्री लेखा/लेखाओं में ऊर्जा बचत प्रमाण पत्रों की उपलब्धता सहित पावर एक्सचेंजों में रखी गई संचयी बिक्री बोलियों को क्रॉस चैक करेगा और यदि इस उपविनियम का काई उल्लंघन पाया जाता है तो रजिस्ट्री इस प्रकार की पात्र अस्तित्व को चूक कर्ता के रूप में माने जाने के लिए पावर एक्सचेंज को सूचित करेगी और इस प्रकार की पात्र अस्तित्व द्वारा प्रस्तुत की गई किसी बोली कीमत खोज के प्रयोजन के लिए पावर एक्सचेंज द्वारा विचार नहीं किया जाएगा। ऐसे बोलीकर्ताओं द्वारा प्रस्तुत की गई बोलियां शून्य और निष्प्रभावी हो जाएंगी यदि दोनों पावर एक्सचेंजों पर पात्र अस्तित्व द्वारा प्रस्तुत की गई कुल बिक्री बोलियां रजिस्ट्री लेखों में ऊर्जा बचत प्रमाण पत्रों से अधिक है।

(8) किसी चक्र में उपविनियम 10 (7) में विनिर्दिष्ट चूक के तीन से अधिक मामले वाली पात्र अस्तित्व अगले छः माह के लिए ऊर्जा बचत प्रमाण पत्रों के संव्यवहार से निषिद्ध हो जाएंगी, इसके बावजूद कि देय कोई शासित ऊर्जा संरक्षण अधिनियम 2001 के उपबंधों के अनुसार लगाया जाए।

(9) पावर एक्सचेंज, पुष्टि रिपोर्ट की प्राप्ति पर निम्नानुसार कार्य करेंगे:

(क) सभी क्रय बोलियों और पुष्ट बिक्री बोलियों को इकट्ठा करेंगे तथा बाजार निकासी कीमत एवं बाजार निकासी आयतन का निर्धारण करेंगे और संव्यवहार परिणामों को संबंधित पावर एक्सचेंज की वेबसाइट पर प्रकाशित किया जाएगा।

(ख) पुष्टि एवं वित्तीय बाध्यता, बीजक के व्यवहार के लिए रिपोर्टों को भेजा जाएगा जिसमें वित्तीय निपटान अर्थात् पे–इन और पे–आउट को निष्पादित संव्यवहार के लिए पावर एक्सचेंजों द्वारा उत्पादित किया जाना सम्मिलित है और इसे संबंधित सदस्यों को भेजा जाएगा।

(ग) ऊर्जा बचत प्रमाण पत्रों के क्रय के ब्यौरों सहित पात्र अस्तित्वों द्वारा संव्यवहारित मात्रा से संबंधित सूचना प्रत्येक व्यवहार सत्र के बाद रजिस्ट्री से शेयर की जाएगी। पावर एक्सचेंज से सफल संव्यवहार होने पर पात्र अस्तित्वों के रजिस्ट्री लेखे अद्यतन किए जाएंगे जिसके द्वारा विक्रेता खाते डेबिट किए जाएंगे और क्रेता खाते क्रेडिट किए जाएंगे;

(घ) ऊर्जा बचत प्रमाण पत्र संव्यवहार के लिए पावर एक्सचेंजों पर मैचिंग तंत्र बोली दो तरफा नीलामी से बंद की जाएगी।

11. प्रमाण पत्र कीमतीकरण –

(1) ऊर्जा संरक्षण नियमों में यथा उल्लिखित एक ऊर्जा बचत प्रमाण पत्र का मूल्य वर्ग तेल समतुल्य एक मिट्रिक टन के संबंध में उपभोग की गई ऊर्जा के बराबर होगा।

(2) ऊर्जा बचत प्रमाण पत्रों की बाजार कीमत संबंधित पावर एक्सचेंज में बोली लगाने की प्रक्रिया के माध्यम से तय की जाएगी।

12. फीस एवं प्रभार –

आयोग, ब्यूरो के परामर्श से रजिस्ट्री और साफ्टवेयर प्लेटफार्म के प्रबंधन के लिए लागत और व्यय की पूर्ति के प्रयोजन के लिए रजिस्ट्री के लिए पात्र अस्तित्वों द्वारा संदेय फीस एवं प्रभारों को, समय–समय पर आदेश द्वारा, अवधारित कर सकेगा।

13. बाजार निरीक्षण –

ऊर्जा बचत प्रमाण–पत्र बाजार की मॉनिटरिंग का प्राथमिक उत्तरदायित्व प्रशासक के पास होगा और प्रशासक का यह कर्तव्य होगा कि वह आयोग द्वारा उपयुक्त कार्रवाई के लिए इन विनियमों के अननुपालन के मामले आयोग की जानकारी में लाए।

14. शिथिल करने की शक्ति –

आयोग, लिखित में अभिलिखित किए जाने वाले कारणों के लिए और शिथिल करने से प्रभावित होने वाले संभावित पक्षकारों को सुनवाई का अवसर देने के पश्चात् सामान्य या विशेष आदेश द्वारा अपने

प्रस्ताव पर या प्रभावित पक्षकर द्वारा अपने समक्ष किए गए आवेदन पर इन विनियमों के किसी उपबंध से छूट दे सकता है।

15. **निदेश जारी करने की शक्ति –**

यदि इन विनियमों को लागू करने में कोई कठिनाई उत्पन्न होती है तो आयोग अपने प्रस्ताव या किसी प्रभावित पक्षकार द्वारा दाखिल आवेदन पर इस प्रकार के निदेश जारी कर सकेगा जो वह विनियमों के उद्देश्य और प्रयोजन को अग्रसर करने के लिए आवश्यक समझे।

टी. राउत, प्रमुख (विधि)

[विज्ञापन- III /4/असा./150 (118)]

CENTRAL ELECTRICITIY REGULATORY COMMISSION

NOTIFICATION

New Delhi, the 27th May, 2016

No. L-1/97/ 2016.— In exercise of powers conferred under sub-section(1)and clause (y) of sub-section (2) of section 178 read with Section 66 of the Electricity Act, 2003 (36 of 2003), paragraph 5.9 of the National Electricity Policy, sub-Rule (4) of Rule 12 and clause (b) of Rule 13 of the Energy Conservation (Energy Consumption Norms and Standards for Designated Consumers, Form, Time within which, and Manner of Preparation and Implementation of Scheme, Procedure for Issue of Energy Savings Certificate and Value of Per Metric Ton of Oil Equivalent of Energy Consumed) Rules, 2012 notified by the Ministry of Power, Government of India vide G.S.R.269(E) dated the 30th March 2012, for the development of market in energy for exchange of transferable and saleable Energy Savings Certificates and all other powers enabling it in this behalf, the Central Electricity Regulatory Commission hereby makes the following regulations , namely:—

1. **Short title, commencement and extent of application –**

1. These regulations may be called the Central Electricity Regulatory Commission (Terms and Conditions for Dealing in Energy Savings Certificates) Regulations, 2016.
2. These regulations shall come into force from the date of their publication in the Official Gazette.

2. **Definitions**

(1) In these regulations, unless the context otherwise requires,

(a) "**Act**" means the Electricity Act, 2003(36 of 2003);

(b) '**Administrator'** means the Bureau of Energy Efficiency;

(c) **'Banking and extinguishment of ESCerts'** means banking and extinguishment of ESCerts as provided in the PAT Rules, 2012, as amended from time to time

(d) '**Bureau**' means the Bureau of Energy Efficiency, a statutory body established by the Government of India, under sub-section (1) of Section 3 of the Energy Conservation Act, 2001 (52 of 2001)

(e) **Commission'** means the Central Electricity Regulatory Commission (CERC) referred to in sub-section (1) of section 76 of the Electricity Act, 2003;

(f) '**Cycle**' means a period as specified in PAT Rules, commencing from the 1st day of April of the starting year and ending on the 31st day of March of the target year. The first Cycle would cover a period of 3 years commencing from the 1st April, 2012 and ending on the 31st March, 2015;

(g) **'Designated Consumer** means any consumer notified by the Central Government under clause (e) of section 14 of the Energy Conservation Act, 2001 and for which a target is notified under the Statutory Orders issued by the Government of India from time to time ;

(h) "**ECAct**" means the Energy Conservation Act, 2001(52 of 2001);

(i) **'Eligible entity'** means any designated consumer registered with Registry who has been issued or deemed to have been issued ESCerts and desire to sell or purchase such ESCerts for compliance with the energy consumption norms and standards specified under clause (g) of section 14 of the EC Act.

(j) **'Energy Conservation Rules'** means the Energy Conservation (Energy Consumption Norms and Standards for Designated Consumers, Form, Time within which, and Manner of Preparation and Implementation of Scheme, Procedure for Issue of Energy Savings Certificate and Value of Per Metric Ton of Oil Equivalent of Energy Consumed) Rules, 2012 and as amended from time to time;

(k) **'ESCerts'** means the Energy Savings Certificates issued by the Central Government in the Ministry of Power to the designated consumer under sub-section (1) of section 14(A) of ECAct, 2001

(l) **'Market'** means a forum / platform where buyers and sellers , buy or sell ESCerts through a Power Exchange **'MoP'** means the Ministry of Power;

(m) **'Power Exchange'** means the power exchange as defined in Power Market Regulations of the Commission.

(n) **'Power Market Regulations'** means the Central Electricity Regulatory Commission (Power Market) Regulations, 2010 as amended from time to time ;

(o) **'Registry'** means the agency designated by Government of India in the Ministry of Power to perform such functions as defined in these regulations with respect to ESCerts.

Provided that NLDC operating under Power System Operation Corporation Limited (POSOCO) , shall function as registry for ESCerts, as notified by Government of India in the Ministry of Power vide Notification No. 10/4/2015 dated January 05, 2016, unless the Ministry of Power decides otherwise

(p) **'Target Year'** means the third financial year from the starting year during which a designated consumer shall achieve compliance with the energy consumption norms and standards prescribed under clause (g) of section 14 of the ECAct;

(q) **'Transaction of ESCerts'** means Sale or purchase of ESCerts under the Perform, Achieve and Trade (PAT) scheme on Power Exchanges, and includes delivery of ESCerts.

2. Save as aforesaid and unless repugnant to the context of the subject matter otherwise requires, words and expressions used in these regulations and not defined, but defined in the Act or EC Act or any other regulations of this Commission or any other rules issued by the Ministry of Power, Government of India shall have the meaning assigned to them respectively in the Act, or EC Act, or such other rule or regulation applicable to the Bureau.

3. Objective

The objective of these regulations is to define a framework for dealing in Energy Savings Certificate through Power Exchanges

4. Scope –

These regulations shall be applicable to ESCerts offered for transaction on Power Exchange(s) including contracts in ESCerts as approved by the Commission in accordance with the provisions of Power Market Regulations.

5. Registry –

The functions of the Registry shall be to undertake:

(1) Registration of Eligible Entity;
(2) Maintaining records of ESCerts viz., issuance, dealing, etc;
(3) Dissemination of information in coordination with the Bureau ;
(4) Assistance in development of IT Platform for maintaining database of ESCerts;
(5) Signing of Non Disclosure Agreement with the Administrator ; and
(6) Any other function, as assigned by the Commission in consultation with the Bureau, after assessment of the prevailing market conditions.

6. The Commission to issue directions

The Commission may, from time to time issue directions to the Administrator and the Registry in regard to the discharge of their functions related to transaction of ESCerts.

7. Functions of Administrator –

For the purpose of transaction of ESCerts issued under the ECAct, the Bureau shall act as the Administrator and subject to provisions of these regulations, it shall-

(a) Define detailed procedure for the following, in pursuance of the Energy Conservation Rules in consultation with the Registry:

(i) Interface activities between Power Exchanges and Registry, Administrator and Registry and Registry and Designated Consumer (s);

(ii) Registration of eligible entities; and

(iii) Dealing, transfer and other residual matters.

Provided that the Bureau shall undertake public consultation on the proposed procedure, seek the approval of the same from the Commission and issue detailed procedure after the approval of the Commission.

(b) provide assistance to the Commission in the matters involving transaction of ESCerts on Power Exchanges.

(c) disseminate relevant market information to all stakeholders

(d) monitor to ensure that transaction in ESCerts takes place in a transparent manner, and report instances of non-compliance of these Regulations to the Commission

(e) provide relevant information regarding Designated Consumer(s) to the Registry

(f) adhere to all compliance under EC Act pertaining to ESCerts

(g) signing of Non Disclosure Agreement with the Registry

(h) coordinate with the Software developer/agency who maintains the IT portal

(i) intimate the Registry regarding the extinguishment of ESCerts from the accounts of the concerned Eligible Entity; and

(j) coordinate with the Power Exchanges and Registry for smooth interface for transaction of ESCerts; and

(k) discharge such other functions as may be assigned under these Regulations.

8. Value and Validity of ESCerts–

The value and validity of ESCerts shall be as specified in the Energy Conservation Rules.

9. Eligible Entity

The following entities shall be eligible for dealing in ESCerts on Power Exchanges, namely,-

(a) Eligible entities issued ESCerts in electronic form in a cycle period for achieving specific energy consumption less than the energy consumption norms and standards notified by the Central Government for the cycle period,under Energy Conservation Rules, and subsequent cycles, who have held such certificates in Registry accounts;

(b) Eligible entities whose specific energy consumption are more than the prescribed energy consumption norms and standards specified for a cycle period and subsequent cycles and who wish to comply with the prescribed energy consumption norms and standards using ESCerts in lieu of implementing energy conservation and energy efficiency improvement measures;

(c) Any other eligible entity, as permitted in the EC Act and on subsequent intimation by the Bureau to the Commission, shall be allowed to enlist for participating in dealing of ESCerts on Power Exchanges by the Commission, from time to time.

(1) Power Exchanges shall permit only the Eligible entities to place either buy or sell bids subject to confirmation of availability of ESCerts by the Registry during the transaction.

10. Dealing in the Certificates –

(1) Unless otherwise specifically permitted by the Commission by order, the ESCerts shall be dealt only through the Power Exchange and not in any other manner.

(2) The ESCerts issued to eligible entities by the Government on the recommendation of the Bureau may be placed for dealing in any of the Power Exchanges by the ESCerts holder, and such ESCerts shall be available for dealing in accordance with the rules and byelaws of the Power Exchanges.

(3) The frequency of transaction of ESCerts, through Power Exchanges, shall be on monthly basis or in such periodicity for all registered and eligible entities as per the procedure approved by the Commission.

(4) All ESCerts shall be dealt at Power Exchanges as per the provisions of EC Act, 2001, PAT Rules and these Regulations.

(5) Power Exchanges shall obtain prior approval of the Commission, on the rules and byelaws including the eligibility criteria, transaction process, ESCert price discovery mechanism and process of interaction between exchange and Registry which *inter-alia* shall include the following -

(a) all eligible entities who intend to participate in the transaction of ESCerts on Power Exchange shall register themselves with the Registry and the Power Exchange;

(b) The ESCerts issued to the eligible entity may be placed for dealing in any of the Power Exchanges as the ESCerts holder may consider appropriate and such ESCerts shall be available for dealing in accordance with the rules and bylaws of such Power Exchange ;

(6) In any dealing session, an eligible entity shall not place sale bids in excess of total ESCerts held in its Registry Account.

(7) The Registry shall cross-check the cumulative sale bids placed on Power Exchanges with availability of ESCerts in respective Registry account(s) and in case breach of this sub-regulation is noticed, the Registry shall intimate the Power Exchanges to treat such eligible entities as defaulter and any bid submitted by such eligible entity shall not be considered by the Power Exchange for the purpose of price discovery. The bids submitted by such bidders shall become void and ineffective if the total sale bids submitted by eligible entity on both the Power Exchanges are more than the available ESCerts in the Registry account.

(8) Eligible entities with more than three cases of default specified in sub-regulation 10(7) in a cycle shall be barred from transaction of ESCerts for next six months, notwithstanding any penalty due to be imposed as per the provisions of the Energy Conservation Act, 2001.

(9) The Power Exchanges, on receipt of confirmation report shall-

(a) aggregate all the buy bids and the confirmed sell bids and determine the market clearing price and the market clearing volume and the transaction results shall be published on the website of the concerned Power Exchange;

(b) send reports for dealing confirmation and financial obligation, invoices including financial settlement i.e. pay-in and pay-out shall be generated by the Power Exchanges for the executed transaction and shall be sent to respective members;

(c) share with the Registry after every dealing session, information on the volumes transacted by Eligible entities, including details of purchase of ESCerts. On successful transaction on Power Exchange, the Registry Accounts of the Eligible entities shall be updated whereby the sellers' accounts shall be debited and the buyers' accounts shall be credited.

(d) The matching mechanism on Power Exchanges for ESCerts transaction shall be closed bid double-sided auction

11. Pricing of Certificate –

(1) The denomination of one ESCert as mentioned in the Energy Conservation Rules shall be equal to energy consumed in terms of one metric Ton of Oil Equivalent (mtoe).

(2) The market price of ESCerts shall be as discovered through the process of bidding at the respective Power Exchange.

12. Fees and Charges –

The Commission in consultation with the Bureau may from time to time determine, by order, the fees and charges payable by the Eligible entities to the Registry for the purpose of meeting the cost and expense towards the management of Registry and software platform.

13. Market Oversight –

The primary responsibility of monitoring of ESCerts market shall be with the Administrator and it shall be the duty of the Administrator to bring to the notice of the Commission instances of non-compliance of these Regulations, for suitable action by the Commission.

14. Power to Relax –

The Commission, may by general or special order, for reasons to be recorded in writing, and after giving an opportunity of hearing, to the parties likely to be affected by grant of relaxation, relax any of the provisions of these regulations on its own motion or on an application made before it by an affected party.

15. Power to issue directions –

If any difficulty arises in giving effect to these Regulations, the Commission may on its own motion or on an application filed by any affected party, issue such directions as may be considered necessary in furtherance of the objective and purpose of the Regulations .

T. ROUT, Chief (Legal)

[ADVT.III/4/Exty./150/(118)]

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.